Phone: 23710519

: (91-11) 23710519, 23730682

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

संख्या No.

15-6(82)/98-ओ एंड एम -॥

प्रेषक From

> मुख्य सतर्कता अधिकारी **Chief Vigilance Officer**

To

सीएसआईआर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान The Directors/Heads of all National Labs./Instts. of CSIR

Sub: Sanction for prosecution u/s 19(1) of P.C. Act

महोदय,

मैं आपकी सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा दिनांक 27 जून, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 107/13/2007-एवीडी.। को अग्रेषित कर रही हं। कृपया इसकी प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रदान की जाए।

I am to forward herewith a copy of the Office Memorandum No. 107/13/2007-AVD.I of the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. of Personnel and Training) dated 27th June, 2008 on the subject cited above for your information, guidance and necessary action, with a request that the copies of the same may kindly be provided to all concerned.

भवदीया.

मुख्य सतर्कता अधिकारी

संलग्न: यथोपरि प्रतिलिपि:

- 1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशा. नियंत्रक /प्रशा. नियंत्रक/प्रशा. अधिकारी
- 2. अवर सचिव (के. कार्यालय)
- 3. उप मचिव (प्र. प्रशासन)
- व्रीरेष्ठ उप सचिव, सीएसआईआर कॉम्पलैक्स
- श्री ए. वाहिद, वैज्ञानिक, सूचना प्रौ. प्रभाग, सीएसआईआर वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु

संख्या-107/13/2007-एवीडी.। भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 27 - 6 - 2008.

कार्यालय जापन

विषय: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अभियोजन की मंजूरी ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में किसी सरकारी कर्मचारी पर अभियोजन चलाए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन लेने की अपेक्षा नियमित करते हुए निम्नतिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- (1) कोई भी न्यायालय धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान जिसके बाबत यह अधिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व स्वीकृति के दिना नहीं करेगा :-
 - (क) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित है और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाए नहीं हटाया जो सकता है, केन्द्रीय सरकार,
 - (ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो राज्य के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाए जाने के सिवाए नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार,
 - (ग) किसी अन्य र्व्यांक की दशा में उसे उसके पद से हटाने के लिए, सक्षाम प्राधिकारी।
- (2) जहां किसी भी कारणवश इस बाबत शंका उत्पन्न हो जाए कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अभिकथित है।
- 2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले (1984) 2 एस.सी.सी. 183 के मामले में, किसी ऐसे मामले में जब न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने को कहा गया जहां अभियुक्त सरकारी कर्मचारी ने उस पद पर कार्य करना समाप्त कर दिया था जिनका अभिकथित रूप से उन्होंने दुरुपयोग किया था; यदापि उस समय पर वे किसी अन्य पद पर कार्यरत

... 2/- ...

था, अनुमोदन की आवश्यकता के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के समानांतर प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह माना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 की सही व्याख्या करने पर उसमें यह अंतर्निहित है कि मात्र उसी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ही आवश्यक है जो कि किसी लोक सेवक को उस पद से हटाने के लिए सक्षम है, जिसका उसने कथित रूप से विकृत उद्देश्य से दुरुपयोग किया है और जिसके लिए उसके विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने का विचार किया गया है । न्यायालय ने यह माना है कि यदि किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराधों का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने की तारीख से पूर्व अभियुक्त ने उस पद पर कार्य करना समाप्त कर दिया है तो धारा 6 के तहत, इस तथ्य के बावजूद भी किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहेगी कि किसी संगत तारीख को वह किसी ऐसे अन्य पद पर कार्यरत रहा होगा जो उसे लोक सेवक बनाए रखता हो जैसा कि धारा 21 में समझा गया है । माननीय न्यायालय ने यह भी माना है कि इस आशय के क्छ पूर्व के निर्णय, कि यदि कोई सरकारी सेवक उस पद पर कार्य करना समाप्त कर देता है जिसका उसने पहले दुरुपयोग किया था किन्तु किसी अन्य पद पर कार्य करते हुए सरकारी सेवक बना रहता है तो बाद वाले कार्यालय से उसे हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है, क़ानून को सही रूप से निर्धारित नहीं करते और इन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 6 की ठीक व्याख्या करने वाले निर्णय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के समकक्ष)

- 3. ये मुद्दे, पुन: प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2006 (13) एस.सी.ए.एल.ई. 54 के. करूणाकरन बनाम केरल राज्य 2006 (13) एस.सी.ए.एल.ई. 88 तथा लालू प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य 2006(13) एस.सी.ए.एल.ई. 91 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर.एस.नायक मामले में किए गए उपर्युक्त समाधानों का समर्थन किया और इस बात पर सहमत नहीं हुआ कि आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले मामले में व्यक्त किए गए मत सही नहीं हैं अथवा यह कि उपर्युक्त निर्णय गलती से लिया गया निर्णय मान लिया जाए या यह कि यह मामला विलोपित या छोड़ दिया गया मामला था ।
- 4. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों के तर्क ऐसे सिविल सेवकों पर लागू होते हैं जो सेवा अथवा संवर्ग के सदस्य रहते हुए अपने सेवा काल के दौरान भिन्न-भिन्न समय पर पर स्थानांतरण अथवा पदोन्नित आदि पर विभिन्न पदों को धारण करते हैं । विभिन्न निर्णयों का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि इन मामलों में मुकदमा लड़ने वाले पक्षा, राजनीतिक व्यक्तित्व थे जो भिन्न-भिन्न समय पर मुख्य मंत्री अथवा सांसद अथवा विधायक आदि पदों को धारण किए हुए थे और इसलिए यद्यपि वे ऐसे पदों को धारण करते समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक थे, किन्तु अपराध का संज्ञान लेने के समय उन्हें भिन्न-भिन्न पदों को धारण करने वालों के रूप में माना जा रहा था बजाए इसके कि उनके द्वारा एक पद धारित था और कथित रूप से उसका दुरुपयोग किया गया था जिसके लिए उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई

आरम्भ की जानी थी। ऐसा उपर्युक्त मामलों में लिप्त सार्वजनिक हस्तियों द्वारा धारित सार्वजनिक पदों के स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में है कि लोक सेवकों के रूप में कई पदों को धारण वाले लोक सेवकों से सम्बन्धत मुद्दे, एक लोक सेवक के रूप में किसी अन्य पद को धारण करने आदि के सम्बन्ध में भी उठाए गए। इन निर्णयों में किसी ऐसे लोक सेवक के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की गई है जो सेवा/संवर्ग के सदस्य के रूप में अपनी सरकारी सेवा के कॅरिअर के दौरान स्थानांतरण अथवा पदोन्नित पर विभिन्न तैनातियों/पदों को धारण करते हैं। उपर्युक्त उद्धृत मामलों में माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न अथवा मुद्दा भी नहीं था कि क्या इन विभिन्न पदों को धारण करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संगत धाराओं के अभिप्रेत के भीतर, विभिन्न कार्यालयों को धारण करने से था।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में उठाए गए मुद्दे/प्रश्न की विधि तथा न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच-पड़ताल की गई है । अतः एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी लोक सेवक द्वारा स्थानांतरण अथवा पदोन्नित पर विभिन्न पदों को धारण करने को, उपर्युक्त अधिनियम की संगत धाराओं के अभिप्राय के भीतर विभिन्न पदों/कार्यालयों को धारण करने के रूप में नहीं गिना जा सकता । उसके द्वारा धारित कार्यालय केवल वही सेवा है जिसका वह सिविल सेवक के रूप में एक सदस्य है भले ही स्थानांतरण/पदोन्नित आदि पर उसके द्वारा धारित पद कोई भी हों । अतः अष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मांगने की अपेक्षाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक अधिकारी सिविल सेवा का सदस्य बना रहता है और अष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत संरक्षण, केवल इस कारण अथवा आधार पर लिया गया – नहीं कहा जा सकता कि अधिकारी ने जिस पद का अभिकथित रूप से दुरुपयोग किया है, उस समय अधिकारी स्थानांतरण अथवा पदोन्नित पर किसी अन्य पद पर कार्यरत था । अतः सभी जांचकर्ता अधिकरण/एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि किसी सिविल सेवक पर अभियोजन चलाए जाने के लिए वे न्यायालय को अष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 10, 11, 13 और 15 के तहत एक अपराध का संज्ञान लेने के लिए कहने से पूर्व अष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करें ।



(विजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग । सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ।

प्रंति प्रेषित की जाती है: मानक सूची के अनुसार ।

No.107/13/2007-AVD.I Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi Dated: June 27,2008

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Sanction for prosecution u/s 19 (1) of the P.C. Act

Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988, regulating the requirement of taking prior sanction of the competent authority before prosecution of a public servant provides as under:

- " 19 (1) No court shall take cognizance of an offence punishable under sections 7,10,11,13 and 15 alleged to have been committed by a public servant except with the previous sanction -
 - (a) in the case of a person who is employed in connection with the affairs of the Union and is not removable from his office save by or with the sanction of the Central Government, of that Government;
 - (b) in the case of a person who is employed in connection with the affairs of a State and is not removable from his office save by or with the sanction of the State Government, of that Government:
 - (c) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office
 - (2) Where for any reason whatsoever any doubt arises as to whether the previous sanction as required under sub-section (1) should be given by the Central Government or the State Government or any other authority, such sanction shall be given by that Government or authority which would have been competent to remove the public servant from his office at the time when the offence was alleged to have been committed."

- 2. Hon'ble Supreme Court, in the case of R.S. Nayak vs A.R. Antulay SCC 183, while interpreting the corresponding provisions of (1984) 2 Prevention of Corruption Act, 1947, in regard to requirement of a sanction in a case where the accused public servant had ceased to hold the office which he is alleged to have misused or abused , though holding another office at the time when the Court is called upon to take cognizance of an offence, held that upon a true construction of Section 6 of P.C.Act, 1947, it is implicit therein that sanction of that competent authority alone would be necessary which is competent to remove the public servant from the office which he is alleged to have been misused or abused for corrupt motive and for which a prosecution is intended to be launched against him. It held that if the accused has ceased to hold that office by the date the Court is called upon to take cognizance of the offences alleged to have been committed by such public servant, no sanction under Section 6 would be necessary despite the fact that he may be holding any other office on the relevant date which may make him a public servant as understood in Section 21. The Hon'ble further held that some earlier judgements to the effect that if a public servant ceases to hold the earlier office abused by him but continuous to be a public servant by holding another office, sanction of the competent authority to remove him from latter office is required, as not laying down correct law and cannot be accepted as making a correct interpretation of Section 6 of the Prevention of Corruption Act, 1947 (corresponding to Sec. 19 of Prevention of Corruption Act, 1988).
- 3. These issues again came up before the Hon'ble Supreme Court in the cases of Parkash Singh Badal and Another vs State of Punjab 2006(13) SCALE 54, K. Karunakaran Vs. State of Kerala 2006 (13) SCALE 88 and in the case of Lalu Prasad Yadav Vs. State of Bihar 2006 (13) SCALE 91. The Hon'ble Supreme Court endorsed the above propositions in the R.S. Nayak case and did not agree that the views expressed in R.S. Nayak vs. A.R. Antulay case are not correct or that the said decision should be taken as per incuriam or that it was a case of "causus omissus".
- 4. A question has been raised whether the ratio of above cited judgements is applicable to civil servants who, while being member of a service or cadre, hold different posts on transfer or promotion etc. at different points of time in the course of their service. A perusal of the various judgements shows that in these cases, the litigating parties were political personalities who held offices like Chief Minister or MP or MLA etc. at different points of time and, therefore, though they were public servants

in terms of section 21 of the IPC while holding such offices, they were treated as holding different 'offices' at the time of taking of congnizance of the offence than one held and allegedly abused by them in respect of which the prosecution is sought to be launched. It is in the context of the nature of public offices held by the public figures involved in the above cases that the issues relating to public servant holding plurality of offices, or holding another office as a public servant etc. arose. These judgements did not discuss the case of a civil servant, who as a member of service/cadre holds different positions/posts on transfer or promotion in the course of his career in Government service. The issue whether holding of these different posts amounts to holding different 'offices' within the meaning of the relevant Sections of Prevention of Corruption Act was also not before the Hon'ble Court in the above cited cases.

5. The question raised has been examined in consultation with the Ministry of Law & Justice . It is, hereby clarified that while holding different posts on transfer or promotion, a civil servant can not be treated as holding different 'offices' within the meaning of the relevant Sections of the said Act. The only office held by him is that of the member of the service to which he belongs as a civil servant, irrespective of the post held on transfer/promotion etc. Therefore, the requirements of seeking sanction of the competent authority under Section 19 of the Prevention of Corruption Act continues to be applicable so long as the officer continues to be a member of civil service and the protection under Section 19 (1) of Prevention of Corruption Act cannot be said to have been taken away only on the consideration that at the time the officer holds charge of another post on transfer or promotion, than one alleged to have been abused. investigating agencies may, therefore, ensure that for seeking prosecution of a civil servant, they obtain sanction of the competent authority under Section 19 (1) of Prevention of Corruption Act before the Court is called upon to take cognizance of an offence under Section 7,10,11,13 and 15 of Prevention of Corruption Act.

18

(Vijay Kumar)

Under Secretary to the Government of India

To,

- 1. All Ministries/Departments
- 2. All State Governments/Union Territories

Copy to:

As per standard list.